भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1794

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>कंपनी आदेश, 2015 का अनुपालन</u>

1794. श्री अम्बेथ राजन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 जारी किया था;

(ख) इस आदेश को जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निरीक्षण/निगरानी करने हेतु कोई तंत्र विद्यमान है और क्या कंपनी के लेखापरीक्षक इस आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (घ): जी, हां। सरकार ने दिनांक 10.04.2015 के सा.आ.संख्या 990(अ.) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के अंतर्गत अपेक्षित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 जारी किए हैं, जिनके द्वारा कंपनी के लेखापरीक्षकों के लिए विभिन्न मुद्दों जैसे परिसम्पत्ति रजिस्टर रखना, संबंधित पक्ष को दिए गए ऋण, सामान सूची और इसके रिकार्डों का सत्यापन, जमा राशि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन, लागत अभिलेखों का रखरखाव, आंतरिक नियंत्रण, धोखाधड़ी आदि के संबंध में अलग से रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएआरओ रिपोर्ट लेखापरीक्षक रिपोर्ट का ही एक भाग है जो शेयरधारकों के समक्ष प्रत्येक वर्ष की बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण के साथ उनके विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है। तत्पश्चात इसे संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल किया जाता है और यह नियामक प्रयोजनों के साथ-साथ आम जनता द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध रहती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 में कंपनी रजिस्ट्रारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी कंपनी द्वारा फाइल की गई सीएआरओ रिपोर्ट सहित किसी दस्तावेज की जांच करते समय कोई अन्य सूचना या स्पष्टीकरण मंगा सकते हैं और यदि उसमें कोई गैर-अनुपालन पाया जाए तो समुचित कार्रवाई कर सकते हैं।

*****